जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 26.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने हत्या में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ईंट सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को धामपुर – नूरपुर रोड पर जैतरा से आगे सड़क किनारे झाड़ियो में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना धामपुर पुलिस व फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लिया गया। मृतक की शिनाख्त सुरेश (उम्र करीब 55 वर्ष) पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम आनन्दखेडी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर के रुप में हुई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया।

घटना के संबंध में मृतक के भाई दिनेश कुमार की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 501/24 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 बनाम बिट्टू पुत्र सुदामा सिंह निवासी ग्राम सरकथल नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 26.10.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बिट्टू पुत्र सुदामा उर्फ धर्मवीर निवासी ग्राम हकीमपुर नरायण उर्फ नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पुछताछ में बताया कि मृतक सुरेश और मैं एक कोल्हू में कार्य करते थे। दिनांक 20.10.2024 को कोल्हू से निकलने बाद हमने शराब का सेवन किया तथा इसी दौरान हम दोनों आपस में झगडा हो गया। मैनें नुकीली ईंट से वार कर सुरेश की हत्या कर दी तथा शव को झाडियों में धकेल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिट्टू पुत्र सुदामा उर्फ धर्मवीर निवासी ग्राम हकीमपुर नरायण उर्फ नंगला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकडा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 2062 धर्मेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 2179 सौरभ कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 26.10.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 33 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 33 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नूरपुर	सलीम पुत्र सद्दीक नि0 मौ0 इस्लामनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद
2	नूरपुर	शकील पुत्र हनीफ नि0 मौ0 तेलीपुरा कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3	नूरपुर	मुनेश पुत्र ओमप्रकाश नि0 मौ0 जोशियान रवाना रोड कस्बा ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4	अफजलगढ़	हुसैन पुत्र जाहिद निवासी मौ0 नेजो सराय खाँ मस्जिद के पास कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	शिवराम पुत्र होरी निवासी अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6	हीमपुर दीपा	सतेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र नि0 ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
7	हीमपुर दीपा	जितेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र नि0 ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
8	हीमपुर दीपा	सोनू पुत्र बाबू नि0 ग्राम धींवरपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
9	हीमपुर दीपा	बिल्ले उर्फ बिल्ला पुत्र सुच्चा नि0 ग्राम मीरापुर सीकरी थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर
10	हीमपुर दीपा	कुलवंत सिंह पुत्र जगत सिंह नि0 ग्राम मीरापुर सीकरी थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर
11	स्योहारा	अबमत कमार पुत्र मुन्ने नि मौ0 शखान उत्तरी कस्वा सहसपर थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर
12	स्योहारा	अशोक कमार पत्र घनश्याम बसह बन0 ग्राम रवाना बसकारपर थाना स्योहारा जनपद बबजनौर
13	स्योहारा	कुंवरसैन पत्र बलबीर सिंह निवासी ग्राम जागीर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
14	नगीना देहात	तस्लीम उर्फ कल्लू पुत्र नत्थू कुरैशी निवासी सत्तारवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
15	मंड़ावर	भूरे सिंह पुत्र विसम सिंह निवासी ग्राम वेरिसाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
16	मंडावर	सुधीर पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम भावजादपुर थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
17	मंड़ावर	विपिन पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी रायपुर बेरीसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर

18	चांदपुर	शुरवीर सिंह पुत्र मंसूर सिंह निवासी अकबरपुर नंगली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
19	चांदपुर	रुपकमल पुत्र जगराम निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
20	चांदपुर	आरिफ पुत्र मौहम्मद अहमद निवासी मौहल्ला कुटकुई थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
21	चांदपुर	गौरव कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम विराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
22	कोतवाली शहर	मनोहर पुत्र मुखत्र सिंह नि0 ग्राम झलरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
23	कोतवाली शहर	दीपक पुत्र लाला सिंह नि0 द्वारिका पुरी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
24	कोतवाली शहर	सलमान पुत्र मजहर नि0 बुल्ला का चौराहा मौ0 चाहशीरी बी 16 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
25	कोतवाली शहर	चमन पुत्र श्यामलाला नि0 टिक्कोपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
26	किरतपुर	अली जाफर पुत्र हाशिम राजा निवासी ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर बिजनौर
27	किरतपुर	रईश पुत्र बाबू पैधा निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर बिजनौर
28	किरतपुर	इकबाल पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 हसनपुरा कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
29	हल्दौर	रोहित पुत्र हरिसंह नि0 मौ0 रईसान कस्बा व थाना हल्दौर जनपद लिजनौर
30	बढ़ापुर	प्रेम कुमार पुत्र रामकिशन नि0 आलमपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर
31	नगीना	सन्जू सिंह पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना नगीना जनपद बिजनौर
32	नगीना	सलीम पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 मनीहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर
33	नगीना	महताब अली पुत्र नगाकत अली निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना नगीना जनपद बिजनौर

थाना नूरपुर

थाना अफजलगढ

थाना नजीबाबाद

थाना हीमपुर दीपा

थाना स्योहारा

थाना नगीना देहात

थाना मंडावर

थाना चांदपुर

थाना कोतवाली शहर

थाना किरतपुर

थाना हल्दौर

थाना बढ़ापुर

थाना नगीना

थाना नगीना

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा   दिनांक – 26.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की बाइक व 01 चेसिस सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.10.2024 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र रामपाल शर्मा नि0 ग्राम उलेढा थाना हीमपुर दीपा ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के जीजा संजय शर्मा की मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि0 न0 UP20J-2134 इंजन न0- 04B15E20744 व चेसिस न0 04B16E21628 को चिकारा पब्लिक स्कूल के गेट के पास से चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.भूपेन्द्र पुत्र मुखराम सिंह नि0 ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 2.दीपक पुत्र जबर सिंह नि0 ग्राम सिकन्दरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण भूपेन्द्र व दीपक उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रजि0 नं0 UP20J-2134 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP20K-0610 लगी हुई थी व मोटरसाइकिल का चेसिस (नं0 04B16E21628) भी बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2)/336(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.भूपेन्द्र पुत्र मुखराम सिंह नि0 ग्राम लदुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.दीपक पुत्र जबर सिंह नि0 ग्राम सिकन्दरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी –

चोरी की एक मोटरसाइकिल मय एक चेसिस

पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री कुलवीर सिहँ थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
2. का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
3. का0 1980 फैय्याज थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 26.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 398/24 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को छीने गये मोबाइल फोन, नगदी एवं अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.08.2024 को वादी श्री यशपाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी सब्जीपुर खाता थाना शाही जनपद बरेली ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 13.08.2024 को 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का मोबाइल रियल-मी C-53 को झपट्टा मारकर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 395/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.08.2024 को ही वादी कोमल कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम फीना थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर ने भी तहरीर दी कि दिनांक 13.08.2024 को वादी संजीवनी हॉस्पिटल के पास टहल रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति वादी का मोबाइल वीवो Y-20G झपट्टा मारकर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 398/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में 02 अभियुक्त 1.पिंकी उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह 2.राजन पुत्र बनारसी दास निवासीगण मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया। स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 22.09.2024 को अभियुक्त पिंकी उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.10.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त राजन पुत्र बनारसी दास निवासी मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छीना गया एक मोबाइल फोन व एक अवैध तमंचा 312 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 312 बोर व ₹ 8000 /- बरामद हुए। अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 504/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त राजन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजन पुत्र बनारसी दास निवासी मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा

बरामदगी –

छीना गया एक मोबाइल फोन

एक अवैध तमंचा 312 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 312 बोर

₹ 8000 /- नगद

अभियुक्त राजन का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 497/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

2.मु0अ0सं0 570/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

3.मु0अ0सं0 669/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा

4.मु0अ0सं0 55/2022 धारा 380/411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा

5.मु0अ0सं0 42/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना डिडोली जनपद अमरोहा

6.मु0अ0सं0 56/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना डिडोली जनपद अमरोहा

7.मु0अ0सं0 64/2022 धारा धारा 380/411/457 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

8.मु0अ0सं0 76/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा

9.मु0अ0सं0 395/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0सं0 398/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर

11.मु0अ0सं0 504/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

12.मु0अ0सं0 619/2024 धारा 109/115(2)/117(2)/118(1)/190/191(2)/191(3)/333/351(2)/352 बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.का0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.का0 2506 रविन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4.का0 53 धर्मराज सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 26.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 497/24 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.10.2024 को वादिया श्रीमती रेनू गोयल पत्नी योगेश कुमार गोयल निवासी निकट रोडवेज बस स्टैण्ड कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि विजय अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेलाल निवासी बडी मण्डी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा छल करके बईमानी से कुटरचित दस्तावेज यथा बिल व बाउचर तैयार कर सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर की सम्पत्ति को अपने निजीहित मे दुरविनियोग किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 497/24 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि बनाम विजय अग्रवाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.10.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विजय अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेलाल निवासी बडी मण्डी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विजय अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राधेलाल निवासी बडी मण्डी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.व0उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 2062 धर्मेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 2179 सौरभ कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 26.10.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 463/2024 धारा 376/406/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि सोनू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सुरानगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत काम किया गया तथा वादिया को विश्वास में लेकर धोखाधडी से वादिया से नगदी व सोने का पैडल ले लिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 463/2024 धारा 420/376 भादवि बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग से धारा 420 भादवि का लोप कर धारा 406/506 भादवि की वृद्धि की गयी एवं अभियुक्त परवेन्द्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सुरानगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सुरानगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

सोनू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सुरानगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 658 किशनपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 26.10.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 518/24 धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.10.2024 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री कस्बा स्योहारा के रहने वाले अदनान पुत्र आरिफ जैदी के यहां साफ-सफाई का काम करती है। आरोपी अदननान द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा विरोध करने पर वादिया की पुत्री के साथ मारपीट की गयी एवं उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उपरोक्त घटना में आनम पुत्री मौ0 इरफान निवासी मौ0 मन्सूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा आरोपी का सहयोग किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 518/24 धारा 70(2)/115(2)/351(3) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता आनम पुत्री मौ0 इरफान निवासी मौ0 मन्सूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस द्वारा अभियुक्त अदनान को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आनम पुत्री मौ0 इरफान निवासी मौ0 मन्सूर सराय पित्थापुर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.म0उ0नि0 वर्षा यादव थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.म0आरक्षी 542 रूबी पटेल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 25.10.2024**

थाना बढापुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना बढापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक का बैग (कट्टा) जिसमे अवैध कच्ची शराब के 56 पाउच मिले, (कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब) सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम टांडा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2428 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 2454 अरविन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 26.10.2024**

"ऑपरेशन स्माईल" अभियान के क्रम में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा 15 माह से गुमशुदा 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2023 को वादी श्री प्रवीण सिंह पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम मारुफपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 25.07.2023 को सुबह के समय उसका 15 वर्षीय बेटा मोटरसाइकिल से गांव से हीमपुर दीपा आया था लेकिन शाम तक घर नही पहुंचा और आसपास तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नही चला। इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 137/23 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग के वादी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने पुत्र के संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल वादी के पुत्र की सकुशल बरामदगी हेतु कई टीमों का गठन किया गया तथा स्वाट/सर्विलांस टीम को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा विभिन्न राज्यों में तलाश करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, आसपास के लोगों से पूछताछ आदि कई महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर काम किया गया।

उक्त दिशा-निर्देशो के क्रम में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा वादी के पुत्र को **पुदुचेरी राज्य के जनपद कारेक्कल** से बरामद किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम –

1- श्री सचिन मलिक, प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम जनपद बिजनौर।
2- उ0नि0 कर्मवीर सिंह तालान, थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3- आरक्षी विशाल चिकारा, सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।
4- आरक्षी सुमित कुमार, थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

नोट- पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा बरामद करने वाली पुलिस टीम को 25,000/- रुपये के ईनाम की घोषणा की गयी।